

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत /कैम्प कोर्ट शेरकां)

1. अरविन्द पुत्र अमरसिंह जाति विश्नोई निवासी वार्ड नं. 11 चक 19 जीजीआर तहसील टिब्बी।
2. सुधीर पुत्र अमरसिंह जाति विश्नोई निवासी वार्ड नं. 11 चक 19 जीजीआर तहसील टिब्बी।

बनाम्

1. अमरसिंह पुत्र श्योकरण जाति विश्नोई निवासी शेरकां तहसील टिब्बी।
2. सरला पत्नी अमरसिंह जाति विश्नोई निवासी शेरकां तहसील टिब्बी।
3. तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी।

-वादीगण

- प्रतिवादीगण

मुकदमा नम्बर:-131/2018

अन्तर्गत धारा:-88,53 आरटीए

निर्णय दिनांक:-16.5.2018

वादीगण की ओर से जगदीश प्रसाद शर्मा एडवोकेट व प्रतिवादीगण की ओर से रूपराम कासनियां एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 16.5.2018 को उम्मेदसिंह रतनू उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:-प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से चक नं. 19 जीजीआर के खाता संख्या 6 में कुल 9.109 है.में से वादी संख्या 1 को चक नं. 19 जीजीआर के खाता संख्या 6 के प.नं. 179/276 मु.नं. 20 कि.नं. 13/.211,14 से 17/1.012, 18/.211,23/.211, 24,25/0.506 है. कुल 2.151 है. तथा वादी संख्या 2 सुधीर को चक नं. 19 जीजीआर के खाता संख्या 6 के प.नं. 179/276 मु.नं. 20 कि.नं. 9 से 12/1.012, 13/.042, 18/.042, 19 से 22/1.012, 23/.042, 2.150 है. कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता व खाता विभाजन कर रकम राज अलग से कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है । उक्तानुसार अप्रार्थी संख्या 1 का हिस्सा कम किया जाकर शेष हिस्सा अप्रार्थी संख्या 1 यथावत रखे जाने के आदेश जाते है। उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेख में वादीगण के नाम से अंकन किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। बैंक ऋण होने की स्थिति में बैंक से अनापति प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे।

यह आज तारीख 16.5.2018 राजस्व लोक अदालत अभियान ग्राम पंचायत शेरकां में मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, टिब्बी

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वादपत्र के लिए स्टाम्प	0	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0	अर्जी के लिए स्टाम्प	0
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	0	प्लीडर की फीस	0
4.रूपये पर प्लीडर की फीस	0	साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	0
5 साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	0	आदेशिका की तामील	0
6 कमिश्नर की फीस	0	कमिश्नर की फीस	0
7 आदेशिका की तामील	0		0
जोड़	0	जोड़	0